राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– नारायणलाल जीनगर आर0ए0एस0

सख्या :– 326/2023 पा०प

ओमप्रकाश पुत्र दुर्गाशंकर दर्जी नि० केमाली तह० करेडा जि०
प्रार्थी........

बनाम

राज० सरकार जरिये तहसीलदार करेडा
विपक्षीगण....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: **दिनांक**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत क निवेदन किया कि ग्राम केमाली पटवार हल्का केमाली तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों व खाता संख्या 215 आराजी नम्बर 3225, 3226, 4186/8, 7, 8, 9,
....
....
....
.... कुलकिता 6 रकबा 0.9989 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अप खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 9/6/23 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकना से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नही है तथा न किस प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार प आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......................
केमाली पटवार हल्का केमाली........................ तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 215 आराज नम्बर 3225, 3226, 4186/8, 7, 8, 9,
....
....
....
कुलकिता 6 रकबा 0.9989 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरग किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक केमाली को 550/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर [illegible] फीस [illegible] होने पर पक्षकारान की मौजूदगी मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु [illegible] मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.08.12 15:08:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

संलग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा